बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 242179 पटना, दिनांक 14-08-2015

ग्रा0वि07(विविध)-11/2014

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- **राज्य में संभावित सुखाड़ के स्थिति के मद्देनजर मनरेगा योजना अंतर्गत रोजगार के समुचित अवसर सृजन करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र संख्या 1017/40/2011-MGNREGA (UN)-Part-III दिनांक 08.05.2015 जो विभागीय ज्ञापांक 234439 दिनांक 09.06.2015 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों एवं उप विकास आयुक्त को प्रेषित है, के द्वारा संभावित सुखाड़ के दृष्टिपथ मनरेगा अंतर्गत ली जाने वाली योजनाओं के प्रकार (Kinds) के संबंध में निदेश दिए गए थे । साथ ही राज्य में संभावित सूखे के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए विभागीय पत्रांक 240485 दिनांक 31.07.2015 के द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गये है ।

इस क्रम में दिनांक 18.08.2007 को मुख्य सचिव,बिहार की अध्यक्षता में संकटकालीन प्रबंधन समूह (Crisis Management Group) की बैठक में राज्य अंतर्गत मनरेगा योजना की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया है ।

अनुरोध है कि राज्य में राज्य में संभावित सूखे के मद्देनजर मनरेगा योजना अंतर्गत रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराया जाय ताकि ग्रामीण आबादी का पलायन न हो सके ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

प्रदीप कुमार
13/8/15

(प्रदीप कुमार)
सचिव

(32)

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 240485 पटना, दिनांक 31-07-2015

ग्रा0वि07(विविध)-11/2014

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- राज्य में संभावित सुखाड़ के स्थिति के मद्देनजर मनरेगा योजना अंतर्गत रोजगार के समुचित अवसर सृजन करने के संबंध में ।

महाशय,

Indian Meteorological Department से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर राज्य में वर्तमान वर्षा काल में मानसून सामान्य नहीं रहने के कारण वर्षा कम होने की संभावना है जिससे राज्य के कई जिलों में सूखे की स्थिति संभावित है । राज्य में सूखे के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण आबादी का पलायन न हो सके । राज्य में संभावित सुखाड़ / बाढ़ को देखते हुए निरंतर मनरेगा के अंतर्गत कार्य जारी रखने हेतु निम्नलिखित निदेश दिए जाते हैं :-

1. वित्तीय वर्ष 2015-16 में अप्रैल के जुलाई माह में मनरेगा की प्रगति की समीक्षा करने से यह ज्ञात हो रहा है कि राज्य के एक ग्राम पंचायत में औसतन रूप से प्रतिदिन 07 मजदूरों को रोजगार दिया गया है । जबकि सामान्यत: प्रत्येक ग्राम पंचायत में 200 से 300 परिवार ऐसे हैं जो कृषि मजदूरी पर आश्रित रहते हैं ।

2. विभागीय पत्रांक 148/C दिनांक 18.08.2007 के द्वारा 15 जून से 15 अक्टूबर तक विशेष परिस्थिति में मिट्टी के कार्य उपरोक्त विभागीय पत्रांक में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं को अनुपालन करते हुए किया जा सकता है ।

3. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र संख्या 1017/40/2011-MGNREGA (UN)-Part-III दिनांक 08.05.2015 जो विभागीय ज्ञापांक 234439 दिनांक 09.06.2015 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों एवं उप विकास आयुक्तों को प्रेषित है, के द्वारा संभावित सुखाड़ के दृष्टिपथ मनरेगा अंतर्गत ली जाने वाली योजनाओं के प्रकार (Kinds) के संबंध में निदेश दिए गए है । इसके अंतर्गत निम्नांकित प्रकार के योजनाओं को क्रियान्वित कराए जाने का परामर्श दिया गया है:-

(I) पारंपरिक जल इकाइयों (Water Bodies) का जीर्णोद्धार (Renovation), तालाबों के Desilting सहित,
(II) सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई से संबंधित कार्य, रख रखाव सहित सिंचाई केनाल एवं ड्रेन का जीर्णोद्धार (Renovation),
(III) Water Conservation एवं Water Harvesting से संबंधित योजनाएं, तथा
(IV) सूखारोधी कार्य यथा वानिकी इत्यादि ।

(31)

4. उपर्युक्त योजनाओं (सामाजिक वानिकी को छोड़कर) में ज्यादातर मिट्टी कटाई से संबंधित कार्य होने हैं । 15 जून से 15 अक्टूबर के बीच कराये जा रहे ऐसे कार्यों के लिए यह आवश्यक होगा कि योजनाओं की मापी तकनीकी कर्मियों यथा पंचायत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता इत्यादि प्रत्येक 2 दिनों पर करें । मस्टर चक्र पूर्ण होने पर इसकी प्रविष्टि MIS पर भी आवश्यक रूप से की जाए ।

nrega soft पर e-MB का प्रावधान किया गया है । ससमय नापी हेतु e-MB का प्रयोग किया जाना श्रेष्यस्कर होगा । e-MR निर्गत किये जाने के समय उस MR का e-MB का प्रिंट nrega soft से प्राप्त किया जा सकता है ।

5. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र संख्या L-12053/22/2015-RE-I(343170) दिनांक 18.06.2015 में दिए गए निदेश के आलोक में यदि आवश्यक हो तो मनरेगा अंतर्गत लिये जाने वाले सूखारोधी एवं कृषि संबंधित कार्य यथा कुएँ / खेत तालाब आदि का मस्टर रॉल संबंधित जॉब कार्डधारी के नाम से 100 दिनों का निकाला जाय ।

6. सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक सुनिश्चित करें की उनके जिले के सभी इच्छुक ग्रामीण परिवारों को मनरेगा के अन्तर्गत मॉग के अनुरूप तत्परता से रोजगार दिया जा रहा है तथा किसी भी परिवार को पलायन के लिए मजबूर नहीं होना पड़ें ।

7. इसे दृष्टिपथ रखते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अन्तर्गत नये काम प्रारम्भ किये जाऐं ताकि संभावित सुखाड़ की स्थिति के मद्देनजर उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त मॉग के अनुरूप ग्रामीणों को समुचित रोजगार मिल सके । सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा के क्रम में, नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा की जाएगी ।

8. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में उपर्युक्त शर्तो के अधीन एवं विशेष सतर्कता अपनाते हुए मिट्टी का कार्य 15 जून से 15 अक्टूबर के बीच करवाये जा सकते हैं ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

प्रदीप कुमार
30/7/15

(प्रदीप कुमार)
सचिव